प्रेषक
~~सेवा में~~,

**जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी**
बाराबंकी

सेवा में,

**प्रबन्धक,**
केरियर माण्टेसरी स्कूल ख्वाजाहाल रुदौली बाराबंकी
बाराबंकी

पत्रांकः मान्यता / आस्थायी। 2315-18 / 2003.04 दिनांक 17/6/05

**विषयः <u>प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता।</u>**

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आप के प्रार्थना पत्र पर जनपदीय मान्यता समिति, बाराबंकी के निर्णयानुसार उक्त विद्यालय को राजाज्ञा संख्या.984 / 15.6.98.18एस (7) 89 दिनांक 28.04.98 में निहित निर्देशों के सापेक्ष आस्थायी मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. राजाज्ञा संख्या 1073 / 15.06.98.18 एस (7) 89 दिनांक 10.9.98 में निहित निर्देशों के अनुसार इस आदेश के निर्गत होनें के पॉच (5) वर्ष के भीतर स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करनां तथा स्थाई मान्यता की शर्तो को पूरा करना अनिवार्य होगा।

2. विद्यालय में अद्योहस्ताक्षरी के पूर्वानुमोदन के उपरान्त ही अध्यापक / अध्याापिकाओं की नियुक्ति सेवा समाप्ति अथवा अन्य प्रशासनिक कार्य वाही की जायेगी।

3. नर्सरी कक्षाओं का संचालान नही किया जायेगा ताकि विभाग द्वारा निधारित शुल्क लिया जायेगा। एवं शिक्षा संहिता के अनुसार शुक्ल मुक्ति की जायेगी तथा विभागीय नियमों, निर्देशें आदेशो का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही विभाग द्वारा निधारित पुस्तको का ही प्रचलन होगा उक्त नियमो का अनुपालन ना करने की स्थिति में मान्याता प्रत्याहरण का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी

पु0सं0 मान्यता / आस्थायी / 2003.04 उसी तिथि को
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप बेशिक शिक्षा अधिकारी तथा सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाराबंकी।
4. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बाराबंकी।
5. सहायक शिक्षा निर्देशक (बेसिक) नवम् मण्डल, फैजाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बाराबंकी

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
कैरियर मान्टेसरी स्कूल,
ख्वाजा हाल, तह0 रूदौली, बाराबंकी

पत्रांक: शि0स0/ 4021-30 /2007-08 दिनांक 19 सितम्बर 2007

विषय: अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कक्षा 06 से 08 तक की अस्थाई मान्यता 'ब' श्रेणी प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त आवेदन पत्र, निरीक्षण आख्या एवं अन्य आवश्यक पत्रजातों पर शासनादेश संख्या 646/15-8-97-18 एस(7)/89 दिनांक 13 अगस्त, 1997 में उल्लिखित प्राविधानों /शर्तो के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की संस्तुति एवं मण्डलीय सम्भागीय मान्यता समिति के निर्णय/संस्तुति पर निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ सोसाईटी कैरियर एजूकेशलन एण्ड हयूमन वेलफेयर सोसाइटी, ख्वाजा हाल, तह0 रूदौली, बाराबंकी संस्था द्वारा संचालित आपके विद्यालय **कैरियर मान्टेसरी स्कूल, ख्वाजा हाल, तह0 रूदौली, बाराबंकी** को अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल स्तर की) कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता ( वित्त विहीन 'ब' श्रेणी ) उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

विद्यालय में कुल तीन वर्ग ही मान्य होगे। अतिरिक्त उपवर्गो को संचालित करने हेतु नियमानुसार अनुमति विभाग से प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कुल पांच प्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त शिक्षक/शिक्षिका, एक लिपिक तथा एक अनचर वर्तमान मानक के अनुसार मान्य होगे।

विभागीय आदेशो/निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

**प्रतिबन्ध:-**

1- विद्यालय मे कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा (प्राइमरी) स्तर की कदापि न दी जाय और न ही किसी प्रकार की अवैधानिक कक्षाए ही संचालित की जाय।

2- विद्यालय में केवल प्रशिक्षित एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुमोदित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया हो, मान्य होगे।

3- विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठयकम ही पढाया जाय।

4- विद्यालय में विभागीय नियमों/आदेशो/निर्देशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता आदि में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

5- विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, महंगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाय जो परिषद के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे है। इनका भुगतान चेक द्वारा बैक में खाता खोलकर बैक के माध्यम से उनके खाते में अन्तरण द्वारा किया जाय। उल्लंधनकी दशा में तत्काल मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

6- विद्यालय में विज्ञान अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति यदि नही की गई हो तो तत्काल नियुक्ति करके इस कार्यालय को अवगत करायें।

7- कीडा क्षेत्र एवं प्रागंण को चारो ओर से समतल कराया जाय तथा चारो ओर वृक्षारोपण कराया जाय।

8- विद्यालय के छात्र/छात्राओं से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय। समस्त शुल्कों का बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलकर पासबुके तथा पंजिकाए सदैव विद्यालय में सुरक्षित रखी जाय, जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी देखा जा सके।

9- भवन में जिन कक्षों की छत लिन्टर नही है उन्हें यथाशीध्र पक्की छत में परिवर्तन कराया जाय।

10-शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में अद्यतन शासनादेश के तहत आरक्षण कोटे का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय।

भवदीय

( बृजभूषण मौर्य )
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

पृष्ठांकन संख्या : शि0स0/ / 2007-08 तददिनाक।

प्रतिलिपि -- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. सचिव उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद/देवीपाटन मण्डल।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसख्यक अधिकारी, बाराबंकी
6. रजिस्ट्रार, चिट एव फण्ड, रीडगंज, फैजाबाद।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), बाराबंकी
8. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी
9. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्र।
10. सबंधित समिति को
11. कार्यालय पत्रावली हेतु।

( बृजभूषण मौर्य )
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैज़ाबाद

पत्रांक : 4021/30 / दिनांक :12/07/2018

## प्रमाण - पत्र

कैरियर मान्टेसरी स्कूल, ख्वाजा हाल, रुदौली, फैज़ाबाद को शासनादेश संख्या 419 / 79 - 6 - 2013 - 18 (20 ) /19 शिक्षा 6 लखनऊ दिनांक -17 जनवरी 2003 एवं 19 सितम्बर 2007 के क्रम में एक से आठवी तक की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान की गयी है सम्बंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय की स्थयी मान्यता होने विषयक प्रमाण पत्र की मांग की गयी है इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक : मान्यता /23/15 / 16 एवं 4021 -30 -2007 दिनांक 10/ 07 /2018 खण्ड शिक्षा अधिकारी से सम्बन्धित विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त कतिपय पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया की की विद्यालय के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 . 05 . 2013 के बिंदु संख्या 15 में निहित प्रविधानानुसार कैरियर मान्टेसरी स्कूल, ख्वाजा हाल, रुदौली, फैज़ाबाद अंग्रेजी माध्यम से एक से आठवीं तक एक स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

फैज़ाबाद

पृ. सं. बेसिक / / 2018 - 19 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 . खण्ड शिक्षा अधिकारी रुदौली, फैज़ाबाद

2 . प्रबंधक कैरियर मान्टेसरी स्कूल, ख्वाजा हाल, रुदौली, फैज़ाबाद

3 . कार्यालय प्रति

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

फैज़ाबाद